उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-46/2017/एस-2-2912/दस-2017-88क(6)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 06 नवम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री दीपक सिंह, वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
2	श्रीमती सुनीता आदित्य, अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त), स्थानिक आयुक्त, कार्यालय नई दिल्ली।	वित्त अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएट सुपरस्पेशियलटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोयडा।
3	श्री हौसिला प्रसाद वर्मा, वित्त नियंत्रक, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	वित्त अधिकारी, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजय गोयल

विशेष सचिव।

<u>संख्या-46/2017/एस-2-2912(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/औद्योगिक विकास/पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।

2- स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक,पोस्ट ग्रेजुएट सुपरस्पेशियलटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोयडा।
4- कुल सचिव/रजिस्ट्रार, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
5- महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,(जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट) लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
11- संबंधित अधिकारीगण।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।